Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

Original Article

नालंदा जिला में भवन एवं सहनिर्माण श्रमिकों और उनके बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन

चन्दन कुमार

आई.आर.पी. एम., तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार संख्या: 744/2022

Email: chandan4890@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180102
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 1(A)
Pp. 5-7
January - 2026
Submitted: 15 Dec. 2025
Revised: 25 Dec. 2025
Accepted: 10 Jan. 2026
Published: 31 Jan. 2026

भूमिका

नालन्दा जिला में भवन एवम् सह–निर्माण श्रमिको तथा उनके बच्चो की शिक्षा की स्थिति पर हाल के वर्षो में अध्ययन एवं हस्तक्षेपों ध्यान गया है। जिसमें शिक्षा इन वर्गो के लिए विशेष अभियानों, सरकारी योजनाओ एवं प्रयासों से किसी बच्चे को श्रम के कारण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। श्रमिकों को शिक्षा का स्तर में सूधार एक बड़ी चुनौती पूर्ण रहा है क्योंकि श्रमिक परिवार इतने भी आर्थिक स्थिति नहीं सूधरी थी की वे अपने शिक्षा के प्रति खर्च कर सकते थे इस कारण वे एक मजदूरी वर्ग में काम करते रहे और शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे क्योंकि वे काम के समय शिक्षा नहीं हो पा रहा था वे पहले सिर्फ अपने पेट पालन तक ही कमा पा रहे थे जिसके कारण वे भी शिक्षा से वंचित रहते और उनके बच्चों के लिए भी कमाई आमदनी से शिक्षा तो दूर की बात है वे सही से भरपेट खा भी नहीं पा रहे थे और स्वास्थ खराब होने पर इलाज के के लिए भी उस कमाई से पुरा नहीं हो पा रहा था। जिससे श्रमिकों की आर्थिक आमदनी के लिए आठ से दस घंटे काम करना पड़ता था। श्रमिक शिक्षा से वंचित रहना पडता था। श्रमिक शिक्षा से वंचित रहने के कारण लम्बे समय तक सिर्फ मजदूर बन कर रहे जाते इस कारण उनका आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। श्रमिक अगर कुछ भी शिक्षित होते तो उन्हें कुछ प्रशिक्षण देकर आर्थिक कमाई का जरिया बढ़ता फिर भी लम्बे समय तक कार्यनुभव से अपने को श्रमिकों काम सिख कर कुछ कुशल कार्यो में भूमिका बना कर आर्थिक कमाई बढ़ा रहे है ओर सरकार की शिक्षा के प्रति सजगता के कारण अब श्रमिक परिवार क बच्चों के लिए सरकार योजनाए बहुत दे रही है जिसके कारण श्रमिक परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हो सके। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा 2025 में एक बड़ा अभियान शुरू किया गया जिसमें नालंदा सहित सभी जिलों में ईट–भट्टा, बालु घाट ओर निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के बच्चो (6–14 वर्ष) की पहचान कर उन्हे स्कूलो में नामाकित किया जा रहा हैं। ऐसे बच्चों को Right to eduction Act के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने पर बल है। गरीबो, पलायन और श्रमिक जीवन को शिक्षा की राह में बाधा न बनने देने का लक्ष्य है। बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (BOCWWB) के तहत पंजीकृत श्रमिको के बच्चों को शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगिता परिक्षा में सफलता पर नगद पुरस्कार दिये जाते है।

मुख्य बिंदु: *श्रमिक, मजदूरी, शिक्षा, कुशल श्रमिक, स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार*

परिचय

नालन्दा की शिक्षा व्यवस्था एक नजर,नालन्दा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप विश्व की शिक्षा का केन्द्र रहा था, जहा नालन्दा विश्वविघालय में विश्वभर के छात्र पढ़ने आते थे जो नालन्दा विश्वविद्यालय फिर से विश्व स्तर पर अपनी भुमिका बना रही है जिसमें वर्तमान समय में भी विश्व भर से नामांकित विधार्थी हो रहे है और अपनी शिक्षा पुरी कर रहे है। जब तक हम अपने जिलों की शैक्षणिक स्थिति पर नजर डालते हे तो उनकी स्थिति कई स्तरो पर चुनौतियों से भरी हुई है लगभग 45 हजार से अधिक विधार्थी है जिसमें भवन निर्माण में लगे श्रमिक के बच्चे की बहुत आर्थिक और सामाजिक चुनौतियो के साथ बिहार के बाहर जैसे प्रदेश में पलायन करते है। जैसे–दिल्ली , मुंबई हरियाणा, पंजाब ओर राजस्थान जैसे राज्यों में पढ़ाई के लिए पलायन कर चुके है। भवन निर्माण श्रमिकों के बच्चो का स्कूलों में ''मिड डे मील'' योजना के तहत मिलने की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इस योजना के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कुलो मे 6 से 14 वर्ष के बच्चो को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन दिया जाता है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
चन्दन कुमार, आई.आर.पी. एम., तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार संख्या: 744/2022

How to cite this article:
कुमार, . चन्दन . (2026). नालंदा जिला में भवन एवं सहनिर्माण श्रमिकों और उनके बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन. Journal of Research & Development, 18(1(A)), 5–7. https://doi.org/10.5281/zenodo.18595008

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.18595008

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

भवन निर्माण श्रमिको के लिए शिक्षा सहायता एवं छात्रवृति योजनाएँ उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 4 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विधार्थी को 8000 से 25000 तक की छात्रतवृति दी जाती है। मेधावी एवं तकनीकी शिक्षा की विधार्थी को अधिकतम 35000 तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पात्रता के लिए श्रमिक कार्ड होना जरूरी होता हे साथ ही विघार्थी नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा हो और अधिकतम दो संतान या एक संतान एवं पत्नी को इस योजना का लाभ दिय जाता है। विशेष योजना और मेरिट के आधार पर इजीनियरिंग एवं प्रोफेशनल कोर्स के विघार्थियों का बढ़ी हुई राशि दी जाती है।

परिकल्पना

- निर्माण श्रमिक परिवारों से निश्चित संख्या में बच्चो के बारे मे संवेक्षण साक्षात्कार विधि का उपयोग।
- शिक्षा से जुड़ी विभिन्न प्रश्नावली का उपयोग कर के समस्याओं, बाधाओं , उपस्थिति, आर्थिक परिवारिक स्थिति का आकलन अनुसंधान के दौरान कार्यस्थल, परिवार और स्कूल के बीच सतुलन।
- बाल श्रम से जुड़े प्रभाव तथा शैक्षाणिक उपलब्धियों पर प्रभाव जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है – बच्चों में शिक्षा के दौरान लिंग का भेदभाव की स्थिति।
- भवन एवं अन्य निर्माण कायश्रमिको के बच्चों की शैक्षनिक का आकलन

शोध कार्य का विशलेषण

बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष का विशलेषण परिवार की संख्या

शिक्षा में शिक्षित और अशिक्षित की स्थिति पता करना।

परिवारों की संख्या	बच्चों की संख्या	शिक्षित	अशिक्षित
50	86	70	16
प्रतिशत	–	87.72	12.28

इस आकलन से पता चलता है कि परिवार की संख्या 50 है। जिसमें बच्चों की संख्या– 86 है जिसमें 70 बच्चे शिक्षित है 16 बच्चे अशिक्षित है जिसकी प्रतिशत में विभिन्नता 75.44 प्रतिशत है तो पता चलता हे कि शिक्षित बच्चो की प्रतिशत 87.72 है जो अच्छी है।

सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति पता करना।

शिक्षित बच्चों की संख्या	स्रकारी स्कूल में पढ़ने वाले की सख्या	गैर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले की संख्या
70	59	11
प्रतिशत	84.28	15.72

यह आकड़ा से हम देख सकते है कि सरकारी स्कुल की संख्या वाले की अधिक है जिसकी प्रतिशत 84.28 है हम कह सकते है कि अभी श्रमिक परिवार मे जिनकी स्थिति आर्थिक स्तर मं सुधार नहीं हुआ है वही बच्चों को सरकारी स्कुल पढ़ने के लिए भेजे जा रहे है।

शिक्षा में लिंग की समानता की पता करना

शिक्षित बच्चों की संख्या	पुरुष	महिला
70	39	31
प्रतिशत	55.72	44.28

इस आकलन या सवेक्षण से पता चला है कि अभी भी श्रमिक परिवार के लोग लिग में समानता नहीं हुई है क्योंकि इस आकलन में लड़का को पढ़ाने की संख्या 39 है और लड़कियों की संख्या 31है जिसकी प्रतिशत जिसकी प्रतिशत में विभिन्नता 11. 44 की है जिसमें इस विभिन्नता में बहुत सारी बाधा हो सकती है।जैसे आर्थिक , सामाजिक, भेदभाव, कम जनसंख्या, और शोषण जैसे डर की समस्या की सम्भावना हो सकती है।

परिणाम

नालंदा जिला में श्रमिक परिवारों के शैक्षणिक परिणामों के संदर्भ के अनुसार, श्रमिक परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण उनके बच्चों की शिक्षा की प्रभावित होती है।भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक परिवारों के बच्चे प्राथमिक ओर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामाना करना पड़ता है। जिनमें आर्थिक तंगी, संसाधन , स्कूलों में शिक्षकों की कमी, तथा परिवारिक जिम्मेदारी आदि। इन सव कारणों से स्कुल छोड़ देते है या उपस्थिति अनियमित हो जाती है।नालंदा जिला में श्रमिक परिवारों के सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बाबजूद शैक्षणिक स्तर में सूधार की आवश्यकता बनी हुई है।इस जिला में शैक्षणिक योजनाओं चल रही है, जैसे,–प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, क्षिक्षकों के कौशल विकास , तथा बच्चों के लिए पोष्टिक पोषण खेलखूद सीखने की गुणवत्ता चलाये जा रहे है। सक्षेप में, नालन्दा जिला के भवन एव अन्य निर्माण श्रमिक परिवारों के शैक्षिक परिणाम मिश्रित है, प्राथमिक शिक्षा में पहुँच बढ़ी लेकिन गुणवत्ता, संसाधन और निरंतरता में सुधार की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा को बढाना देने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। जिससे ये श्रमिक परिवारों की शैक्षानिक स्तर से सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जा सके।शैक्षिक सहायता – बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी कर रहे है या तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स कर रहे, उन्हें कोचिंग और अध्ययन सामग्री के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

निष्कर्ष

नालन्दा जिला में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक संघों का संगठन सक्रिय कार्यक्रम चला रहें है। जो श्रमिकों के कल्याण, पंजीकरण, दुर्घटना बीमा, आर्थिक सहायता ओर सामाजिक सुरक्षा जैसे योजनाओं पर लगातार कार्य कर रहे हैं।उदाहरण के रूप इस्लामपुर प्रखण्ड के रानीपुर पंचायत में श्रमिक कैम्प आयोजन हुआ। जिसमें 320 श्रमिक का पंजीकरण इसी प्रकार अस्थावा प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में कैम्प लगाकर श्रमिकों का पजीकरण किया जा रहा है उन्हें कल्याण बोर्ड के लाभों की जानकारी दी जाती ळें इसके अतंर्गत दुर्घटना बीमा, मृत्यु लाभ, मातृत्व एवं पितृत्व लाभ, बच्चों की शिक्षा के लिए पुरस्कार, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति योजनायें प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा के अधिकार से जोड़ना और विवाह सहायता राशि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है।इस संघ में स्थानीय पदाधिकारी श्रम प्रर्वतन अधिकारी एवं श्रम उपाधिक्षक और पंचायत प्रतिनिधि शामिल होकर श्रमिको के हितों का सरक्षण हेतु प्रयास करते है।इस तरह नालन्दा जिला में भवन निर्माण श्रमिमकों के बच्चों को अगर कही बाल–श्रम में लगे रहने पर जिले एवं प्रखण्ड के प्रदाधिकारी लगातार भ्रमण एवं छापा मार कर बाल श्रम से मुक्त करा कर उन बच्चों की सरंक्षण एवं गुणवतापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयासरत्न होते है उन्हें,गैर सरकारी संस्थान की निगरानी में भेज देते है। नालन्दा जिला में भवन निर्माण श्रमिक संघ श्रमिकों को संगठित कर उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए काम कर रहे है उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयत्न करता है।

सदर्भ सूची

1. Live Hindustan.com/biharsharif
2 . national herald india-vishwadeepak 29 march 2025-
3. Bocwscheme.bihar.gov.in
4. Report of laboar welfare office nalanda
5. bocw Act 1996 (भवन एंव अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम & 1996)
6. http//nalandauniv.edu.in
7. Archaeological survey of india, ministry of culture
8. bcebc.bih.nic.in
9. Biharlabourcard Scholorship yojana (sharmik kalian yojana)
10. Policy bazaar.com
11. Drishiti IAS
12. **बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड**